संख्या-960/2017/2345/22-2-2017-17(03)/2001

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषयः-जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश गिरि पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कारागार के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम.22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी राकेश गिरि पुत्र श्री प्रेम गिरि, ग्राम-बजरखा, थाना-मितौली, जनपद-खीरी का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश में 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को सायं लगभग 05.00 बजे बन्दूक से फायर कर व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या की, जिनमें एक 10 साल का बच्चा शामिल था, जिसे मारकर जलती हुयी आग में झोंक दिया तथा 03 व्यक्तियों के सर काट दिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 436, 452, 404 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.1997 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.1997 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 19 वर्ष 10 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सामान्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश में 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को बन्दूक से फायर कर व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी, जिनमें 10 साल के बच्चे को मार कर जलती हुयी आग में झोंक दिया एवं 03 व्यक्तियों के सर काटकर जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-64 वर्ष लगभग है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, विवाद विद्यमान होने की पुष्टि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, विवाद विद्यमान होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश गिरि पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राकेश गिरि (बन्दी संख्या-43/2002) पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-960/2017/2345(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-960/2017/2345@22-2-2017-17(03)/2001
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध राकेश गिरि (बन्दी संख्या-43/2002) पुत्र श्री प्रेम गिरि, ग्राम-बजरखा, थाना-मितौली, जनपद-खीरी का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश में 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को सायं लगभग 05.00 बजे बन्दूक से फायर कर व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या की, जिनमें एक 10 साल का बच्चा शामिल था, जिसे मारकर जलती हुयी आग में झोंक दिया तथा 03 व्यक्तियों के सर काट दिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 436, 452, 404 में मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.1997 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.1997 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 19 वर्ष 10 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सामान्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में हुयी हत्या की रंजिश में 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को बन्दूक से फायर कर व बांका से 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी, जिनमें 10 साल के बच्चे को मार कर जलती हुयी आग में झोंक दिया एवं 03 व्यक्तियों के सर काटकर जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-64 वर्ष लगभग है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, विवाद विद्यमान होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, विवाद विद्यमान होने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राकेश गिरि पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in